

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हाँ। क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास नक्शे में, फल एवम् सब्जियों की एक छोटी मार्किट तथा एक सामुदायिक केन्द्र जिसमें सिनेमा, खुदरा दुकानें, कार्यालय, विपणन तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें जैसे डाक घर, कार्यालय, पुलिस चौकी, बैंक आदि की व्यवस्था हो, के लिये स्थल उद्दिष्ट किये गये हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फल एवम् सब्जी मार्किट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए एक परिपूर्ण परियोजना दिल्ली नगर कला आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी थी। आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली विकास प्राधिकरण फल एवं सब्जी की एक छोटी मार्किट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अलग-अलग नक्शे प्रस्तुत करे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फल एवम् सब्जी की छोटी मार्किट की योजना का कार्य एक निजी परामर्श कम्पनी को दिया है तथा उसकी परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। सामुदायिक केन्द्र के लिए संशोधित योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं तैयार की जा रही है। दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो जाने की उपरान्त ही इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. डी. ए. द्वारा संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

1941. डा. गोविन्द दास रिछाौरिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और संसद सदस्यों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार कितने फ्लैट आवंटित किए गए और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं ;

(ख) संसद सदस्यों के कितने प्रार्थना पत्र प्राधिकरण के पास लम्बित हैं; और

(ग) उन पर प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अशोक विहार, शालीमार बाग, कालकाजी, दिलशाद गार्डन, सराय जुलियाना, शेख सराय में संसद सदस्यों को सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग श्रेणी के 28 फ्लैट आवंटित कर दिए हैं। 30 फ्लैट स्वयं चर्चित योजना के अन्तर्गत आवंटित किए गए थे जिनमें से 5 आवेदकों ने पहले ही अपना विकल्प वापस ले लिया है।

(ख) सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत संसद सदस्यों के 14 आवेदन-पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) जिन संसद सदस्यों को फ्लैटों का नियत किया गया है, उन्हें, जब फ्लैट का विशिष्ट पहचान नम्बर के लिए डू निकाला जाएगा, फ्लैट दे दिए जायेंगे।

केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित सिंचाई योजनाएं

1942. श्री रामचन्द्र विकस : क्या जल संसाधन मंत्री यह स्वतन्त्र की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जल आयोग के पास कूल कितनी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत के लिए विचाराधीन हैं;

(ख) कितनी योजनाओं की जांच कराई गई है और कितनी स्वीकृत की जा चुकी है और उन पर कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी; और

(ग) इन स्वीकृत योजनाओं सहित कूल कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकती है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :

(क) 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार 141 बृहद तथा 107 मध्यम सिंचाई स्कीमों केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन थीं, लघु सिंचाई स्कीमों राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही स्वीकृत की जाती हैं तथा केन्द्रीय जल आयोग को नहीं भेजी जाती।